

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 280/2024  
अनवान : -

1. बलदेव सिंह पुत्र सजन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।  
- सायल

**बनाम्**

1. गुरुध्यान सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
2. गुरतेज सिंह पुत्र बसन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
3. गुरप्रीत सिंह पुत्र बसन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
4. गुरदीप सिंह पुत्र सजन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
5. चरण प्रीत पुत्र गुरजन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
6. जसप्रीत कौर पत्नी गुरजन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
8. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :- 1. श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता सायल

2. श्री संजय भाटी अधिवक्ता गैरसायल

**निर्णय**

दिनांक: 02/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 89/86 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 88/87 की कुल 1.7710 व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 43/39 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सीव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान अजनबी क्रेतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते हैं एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते हैं। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णाय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 89/86 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 88/87 की कुल 1.7710 व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 43/39 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए मुल वाद में इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐजराज नहीं है शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अदालत में लायी गयी।

**उपखण्ड अधिकारी  
नोहर**

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावों के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्ण्य क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 89/86 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 88/87 की कुल 1.7710 व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 43/39 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्ण्य क्षति नहीं होगी लेकिन विशेष हिस्से का बेचना करने से प्रार्थी को भी अपूर्ण्य क्षति होने की सम्भावना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः विशेष हिस्से के बेचान न करने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों के को पाबन्द किया जाता है कि वे रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 89/86 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 88/87 की कुल 1.7710 व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 43/39 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष विशेष हिस्से का बेचान करने से निषिद्ध रहे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2015 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर